न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

निगरानी 777-III-15

अभिषेक सिंह तनय बद्री सिंह उम्र 29 वर्ष, पेशा–खेती, निवासी ग्राम खम्हरिया तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

.........आवेदक/निगरानीकर्ता/आपत्तिकर्ता

बनाम

1– स्मोन्टी सिंह तनय श्री वीरेन्द्र सिंह बघेल, निवासी ग्राम अनन्तपुर तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

2– अभिनव सिंह तनय श्री मुरारी सिंह, निवासी ग्राम पटना तहसील मनगवां जिला रीवा (म.प्र.)

3– संदीप सिंह तनय यज्ञपाल सिंह निवासी ग्राम मरहा तहसील हुजूर जिला रीवा (म.प्र.)

......अनावेदकगण/गैरनिगरानीकर्तागण

श्री अनिरुद्ध सिंह एड. द्वारा आज दि. 15-4-15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी आवेदन विरुद्ध न्यायालय नायब तहसीलदार सर्किल बनकुईया तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.04.2015 बावत् प्रकरण कमांक 72/अ–6/1314

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 एवं सहपठित धारा 8 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959

महोदय,

निगरानी आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

(प्रकरण के तथ्य संक्षेप में)

1– यह कि आवेदक ग्राम खम्हरिया तहसील हुजूर जिला रीवा का पुस्तैनी निवासी है तथा नजदीकी ग्राम मरहा में केशर प्लांट लगाने हेतु अपने रिश्तेदार श्रीमती गम्मा देवी पत्नी स्व. वासुदेव सिंह से खसरा नं. 618/1 का उनके हिस्से का अंशभाग रकवा 1.32ए. जरिए दानपत्र प्राप्त किया था, दान पत्र दिनांक 11.11.2004 को

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक R-777 / तीन / 2015

जिला रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश अभिषेक सिंह / स्मोन्टी सिंह	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15–12–2015	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित । अनावेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव उपस्थित । उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये। उभयपक्ष अधिवक्ताओं द्वारा अभिलेख के आधार पर निर्णय पारित करने का अनुरोध किया गया। इसके अतिरिक्त आवेदक अधिवक्ता द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित है। अनावेदक अधिवक्ता द्वारा भी आपत्ति आवेदन के जबाव में अंकित तथ्यों को ही तर्क मानने का अनुरोध करते हुए प्रकरण [illegible] निरस्त करने का निवेदन किया गया। उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया गया तथा निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों एवं आवेदक की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति के जबाब का अवलोकन किया गया तथा उन पर विचार किया गया। इसके साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का परिशीलन करते हुए आक्षेपित आदेश दिनांक 08.04.2015 का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण आपत्ति कर्ता की मूल आपत्ति पर तर्क हेतु दिनांक 8.4.15 को नियत किया गया था, किन्तु दिनांक 8.4.15 को आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में एक आवेदन पत्र म0प्र0 भू–राजस्व संहिता के तहत प्रस्तुत कर सुनवाई स्थगित किए जाने का अनुरोध किया गया। सुनवाई स्थगित किए जाने संबंधी आवेदन पत्र पर आवेदक के तर्क श्रवण किए गये। विचारोपरांत प्रकरण में सुनवाई स्थगित किए जाने के संबंध में किसी वरिष्ठ न्यायालय का रोक आदेश नहीं होने के कारण धारा 36(1) म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 का सुनवाई स्थगित किए जाने संबंधी आवेदन निरस्त किया गया। इसके साथ ही आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 33 एवं 110 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता तथां धारा 111 भारतीय	

साक्ष्य अधिनियम एवं आवेदन पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10(2) सी.पी.सी. एवं धारा 110(3) म.प्र.भू–राजस्व संहिता 1959 पर पूर्व पेशी दिनांक 4.4.15 को तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेश हेतु नियत किया गया था, विचारोपरांत प्रकरण में उक्त आवेदन पत्र भी इस आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये कि मूल रूप से प्रकरण पंजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, तथा विचारण न्यायाय में प्रकरण में आवश्यक हितबद्ध पक्षकार केता एवं विक्रेता ही है। इस प्रकार विचारण न्यायालय नायब तहसीलदार द्वारा आपत्ति कर्ता निगराकार के उक्त विचाराधीन आवेदन पत्र भी निरस्त किए जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय में निगराकार की ओर से प्रस्तुत मूल आपत्ति आवेदन पत्र दिनांक 15.09.2014 पर आपत्ति कर्ता के तर्क हेतु नियत किया गया।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा अभी कोई अंतिम आदेश पारित कर प्रकरण का निराकरण न करते हुए प्रकरण आपत्ति आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होना परिलक्षित नहीं हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण में नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.04.2015 में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः नायब तहसीलदार का आदेश दिनांक 08.04.2015 स्थिर रखा जाता है। नायब तहसीलदार हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में विधिअनुसार कार्यवाही करें। निगरानी अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापस भेजा जावे। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि. हो।

सदस्य